


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

सुसंख्या 139 / 2019

~~रामसिंह~~ बनाम ~~गोपाल~~
दावा

दिनांक 7-11-19

यह वाद पत्र श्री ~~हरिशंकर सिंह~~ एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की जावे। पत्रावली दिनांक 29.11.19 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिल्ला दौसा)


दिनांक 29-11-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी के वकील ने अपने वाद को नोट प्रेस किया।

अतः वादी का वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिल्ला दौसा)

Notepressby

29-11-19